P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/इन्द्रमल/अपील/3170/2018 द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2018 की अनुपालना में श्री इन्द्रमल बारासा, प्रधानाचार्य का राउमावि तीखी, सायला जिला जालौर से राउमावि निचला गढ, आबूरोड जिला सिरोही किया गया स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया गया था। आदेश के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप राउमावि–तीखी, सायला जिला जालौर में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई।

माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मद्देनजर उक्त दोहरे पदस्थापन की स्थिति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए श्री इन्द्रमल बारासा, प्रधानाचार्य को प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं राज्य हित में राआउमावि–रोहुआ (ROHUA), रेवदर जिला सिरोही स्थानान्तरित किया जाता है। श्री इन्द्रमल को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 03.10.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

इन्हें उक्त स्थानान्तरण पर यात्रा–भत्ता एवं योगकाल नियमानुसार देय होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 **दिनांकः** 28.09.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3.. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पाली।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिरोही।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जालौर को पाबन्द किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 21.08.2018 द्वारा श्री इन्द्रमल बारासा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तीखी, सायला जिला जालौर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय–निचला गढ, आबूरोड जिला सिरोही किया गया था जिसके विरूद्ध श्री बारासा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 3170/2018 इन्द्रमल बारासा बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 को माननीय अधिकरण द्वारा विधि विरूद्ध एवं अनियमित बताते हुए अपीलार्थी श्री इन्द्रमल बारासा की सीमा तक अपास्त किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 21.08.2018 को अपीलार्थी श्री इन्द्रमल बारासा के सम्बन्ध में निरस्त किया जाता है। आदेश के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप श्री इन्द्रमल बारासा राउमावि–तीखी, सायला जिला जालौर में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/इन्द्रमल/अपील/3170/2018 दिनांक 27.09.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा पाली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जालौर/सिरोही।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)